लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(विश्वविद्यालय मानी गई संस्था)

निविदा दस्तावेज प्रपत्र

संस्थान के पूर्ण परिसर में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु ठेका देना

ए) पात्रता मानदंड

1. बोली की तिथि की निम्न अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक वैध लाइसेंस / पंजीकरण-
   - क) भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा कानूनी रूप से गठित कॉरपोरेट निकाय अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदार कंपनी अथवा मालिकाना स्वामित्व (इस संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज संलग्न करें)।
   - ख) निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत ग्वालियर में निजी सुरक्षा के व्यवसाय के संचालन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित (प्रति संलग्न करें)।
   - ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पिछले तीन माह की ईपीएफ जमा रकम की ऑनलाइन ईसीआर के साथ इसकी प्रति संलग्न करें);
   - घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (पिछले तीन माह के ईएसआई जमा रकम के चालान के साथ इसकी (प्रति संलग्न करें);
   - ङ) सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम (पिछले तीन माह के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण पत्र संलग्न करें);
   - च) आयकर अधिनियम (पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें);
   - छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ठेकेदार श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (पंजीयन की प्रति संलग्न करें);

2. सुरक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (संगठनों की सूची जिसमें कार्य किया गया हो एवं बड़े संगठनों को प्रदान किए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या सहित पांच वर्ष पुराना निगमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक);
3. 31 मार्च 2019 को समाप्त, 3 वर्षों का औसत वार्षिक वितीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 80% होना चाहिए (इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट के साथ आयकर रिटर्न एवं परिशिष्ट-ग में निर्धारित प्रारूप के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "टर्नओवर का प्रमाणपत्र" संलग्न करें)
4. सरकारी संगठनों / पीएसयू / स्वायत्त निकायों / सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में निम्नानुसार पिछले 7 वर्षों (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान समान प्रकृति कार्य अर्थात "प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना" के सफलतापूर्वक / संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का अनुभव : -

तीन समान प्रकृति के कार्य जिनमें प्रत्येक का मान अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत से कम न हो

अथवा

दो समान प्रकृति के कार्य जिनमें प्रत्येक का मान अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम न हो

अथवा

एक समान प्रकृति के कार्य जिसका मान अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत से कम न हो

(ऊपर वर्णित संबंधित कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अनुबंध पूरा होने के प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. बोलीकर्ता का ग्वालियर में कार्यालय है, जिसमें दूरभाष, वाहन आदि जैसी प्रभावी संचार सुविधाएं और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में दस्तावेजी स)ाक्ष्य प्रस्तुत करें (बल मौजूद है। संख्यापर्याप्त(यदि ऐसा नहीं है, तो बोलीकर्ता को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि ठेका प्राप्त होने की स्थिति में, वे इसके प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर ग्वालियर में कार्यालय खोलेंगे(;
6. बोलीदाता कंपनी का अपना बैंक खाता हो (पिछले एक महीने के विवरण सहित खाते की जानकारी प्रस्तुत करें);।
7. बोलीदाता के पास वेतन पत्रक पर कम से कम 200 स्थायी / नियमित सुरक्षा गार्ड होने चाहिए (एनईएफटी द्वारा पिछले एक महीने की मजदूरी के भुगतान के संगठन-वार सूची और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ कर्मियों के नाम भी प्रस्तुत करें।)
8. 100/- रूपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रस्तुत करें:-
    a. एजेंसी द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में लागू सभी वैधानिक दायित्वों का अनुपालन किया जाना चाहिए;
    b. प्रोपराईटर/फर्म/पार्टनर या बोलीकर्ता कंपनी के विरूद्ध किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है।
    c. बोलीकर्ता ने विगत तीन वर्षो में ईपीएफ, ईएसटी, जीएसटी, आयकर जैसे सांविधित बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
    d. बोलीकर्ता को विगत तीन वर्षो में किसी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/शासकीय शैक्षिक संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, और न ही इसका कोई अनुबंध् पूर्णता तिथि से पहले रद्द किया गया है।

बी) निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बयाना राशि

1. निविदा दस्तावेज निशुल्क है, जिसे बोलीदाता को संस्थान या सीपीपीपी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
2. बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से निविदा दस्तावेजों के साथ "कुलसचिव, ल.रा.शा.शि.सं, ग्वालियर" के पक्ष में देय बयाना राशि जमा करनी होगी ।
3. दस्तावेजी साक्ष्य / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एनएसआईसी / एमएसएमई में पंजीकृत बोलीदाता को ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी ।
4. असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि निविदा प्रक्रिया की समाप्ति के बाद वापस कर दी जाएगी। हालांकि, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को प्रदर्शन सुरक्षा निधि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा। इस प्रतिदाय पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. यदि बोलीदाता दिए गए कार्य को करने में असफल रहता है अथवा कार्य के लिए उसका चयन होने के पश्चात सुरक्षा निधि जमा करने में विफल रहता है, तो बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
6. बयाना राशि प्रस्तुत न करने के मामले में बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाकर, बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।।

सी) बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. निविदा मुख्य मोहरबंद लिफाफे जिसमें "प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती के माध्यम से संस्थान के पूर्ण परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना" स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, में प्रस्तुत की जानी है एवं

उप कुलसचिव (सम्पदा) के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में 24.02.2020 को दोपहर 3:00 बजे तक डालनी/पहुंचानी होगी।

2. निविदा उपर्युक्त विषय ("प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती के माध्यम से संस्थान के पूर्ण परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना") का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पंजीकृत डाक अथवा तीव्र डाक से उप कुलसचिव (सम्पदा), ल.रा.शा.शि.सं, मेला रोड, शक्तिनगर, ग्वालियर-474002 (म.प्र.) को भी भेजी जा सकती है, एवं ऐसे मामलो में, यह दिनांक 24.02.2020 को दोपहर 03:00 बजे तक संस्थान में पहुँच जानी चाहिए ।
3. निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. मुख्य निविदा संबंधी लिफाफे में निम्न तीन मोहरबंद लिफाफे होने चाहिए :-

लिफाफा क्रमांक 1	-	**संलग्नक 'ए'** में दिए गए प्रारूप में मांग ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के रूप में ईएमडी जमा करें, यदि बोलीकर्ता इसमें छुट का दावा करता है, तो सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें ;
लिफाफा क्रमांक 2	-	**संलग्नक 'बी'** में दिए गए प्रारूप में **"तकनीकी बोली"**, अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ (लिफाफे पर **"तकनीकी बोली"** लिखें) ;
लिफाफा क्रमांक 3	-	**संलग्नक 'सी'** में दिए गए प्रारूप में "**मूल्य बोली**" (लिफाफे पर **"मूल्य बोली"** लिखें) ;

5. तकनीकी एवं मूल्य बोली के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या होना आवश्यक है।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. तकनीकी बोली खुलने से पूर्व कभी भी, संस्थान द्वारा किसी भी कारण से निविदा दस्तावेज़ में, वेबसाइट के माध्यम से, उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं। भावी निविदाकार को इस सम्बन्ध में अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी।
8. पर्यवेक्षी शुल्क / लाभ मार्जिन को प्रतिशत में पेश किया जाना आवश्यक है, जिसे इस प्रयोजन के लिए दिए गए कॉलम में शब्दों एवं संख्या में लिखना होगा ।
9. यदि कोई बोलीदाता मूल्य बोली में पर्यवेक्षी शुल्क / लाभ गुंजाइश को 'निरंक' या "तीन प्रतिशत से कम" शुल्क भरता है, तो बोली को अप्रभावी मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से की गई हों, और तकनीकी बोली और मूल्य बोली के सभी पृष्ठ बोलीदाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हों ।
11. भरे हुए निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार के अधि-लेखन, सुधार या कटिंग होने पर, विचार नही किया जाएगा।
12. बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसर का निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि बोली लगाने से पहले कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकें। बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रारूप में इसकी घोषणा करनी आवश्यक है।
13. बोलीकर्ता, बोली प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। यदि बोलीकर्ता इस निविदा प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट प्रक्रिया, धोखाधड़ी या अवांछनीय कार्य में संलग्न पाये जाते हैं, तो संस्थान निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
14. निविदाकर्ताओं की पात्रता का परीक्षण उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।
15. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बोलीकर्ता के लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

16. संस्थान को बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिए किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति को देखने का अधिकार है।
17. यह निविदा खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु वैध रहेगी।

डी) बोलियाँ खोलना :

1. सर्वप्रथम तकनीकी बोली और ईएमडी वाले आंतरिक लिफाफों को दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सायं 4 बजे एलएनआईपीई, ग्वालियर में बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा।
2. केवल तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीकर्ताओं के मूल्य बोली वाले लिफाफे को बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा। सफल बोलीकर्ताओं को दिनांक और समय की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी।
3. यदि किसी कारण से उपर्युक्त तिथि को कार्यालय में अवकाश होता है, तो बोलियों को अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोला जाएगा।

ई) बोलियों को अस्वीकार करना

1. यदि उपर्युक्त सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तथा तकनीकी बोली प्रपत्र में भरा नहीं जाता है या निविदा शुल्क और/ या ईएमडी के बिना प्रस्तुत किया गया है, तो बोलीकर्ता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा;
2. बोलीकर्ता द्वारा किसी भी रूप में सिफारिश या प्रचार करने पर उसकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृति किया जा सकता है।
3. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा और तदनुसार इसे प्रारूप (तकनीकी और मूल्य) में भरना होगा। ऐसा न करने पर संस्थान को निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
4. अहस्ताक्षरित या अपूर्ण निविदाओं को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
5. संस्थान को बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है।
6. तकनीकी बोलियों के आधार पर निरस्त बोलीकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
7. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बोलीकर्ता को स्वीकार्य होगा।

एफ) अनुबंध की अवधि

1. ठेके के दिनांक 01.03.2020 से प्रारंभ होने की संभावना है और इस निविदा दस्तावेज के शर्तों और दशाओं पर इसकी अवधि एक वर्ष होगी।
2. संस्थान को पूर्ववर्ती अवधि/ वर्ष के दौरान ठेकेदार फर्म के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर ठेके को वार्षिक आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कि ठेकेदार समान शर्तों और दशाओं पर कार्य करने के लिए सहमत हो।
3. ठेकेदार फर्म द्वारा सेवा या निष्पादन में कमी होने पर ठेके को निर्धारित समयावधि के पूर्व भी बंद/ समाप्त किया जा सकता है।
4. ठेके की अवधि के पूरा होने पर यह स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उपर्युक्त विवरण के अनुसार ठेके की अवधि में विस्तार न किया गया हो।

जी) सुरक्षा जमा राशि:

1. सफल बोलीकर्ता फर्म को आशय पत्र (लैटर ऑफ इन्टैंट) जारी किया जाएगा, जो कार्य आदेश माना जायेगा।
2. सफल बोलीकर्ता को लैटर ऑफ इन्टैंट (LOI) जारी होने के 10 दिन के भीतर संस्थान में अपनी लिखित स्वीकृति, रु. 100/- का गैर-न्यायिक स्टांप (संस्थान के साथ अनुबंधपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु) एवं निष्पादन सुरक्षा जमाराशि, जोकि निविदा प्रपत्र के अनुसार कुल ठेका मूल्य की 10% होगी, को ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से अथवा एलएनआईपीई के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अथवा कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर सावधि जमा के माध्यम से जमा करनी होगी, जिसे ठेकेदार के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से न्यूनतम साठ दिनों की अवधि तक वैध होना चाहिए।
3. ठेका अवधि या विस्तारित ठेका अवधि, यदि हो, के सफल / संतोषजनक रूप से पूर्ण होने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के बाद ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर निष्पादन सुरक्षा जमाराशि वापसी योग्य है, बशर्ते ठेकेदार ने संस्थान की संतुष्टि के अनुसार अपने सभी संविदात्मक/ वैधानिक दायित्वों को पूरा किया हो, अन्यथा इसे सुरक्षा जमाराशि से ही समायोजित किया जाएगा।
4. इस निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदा में निर्धारित किसी भी शर्त और दशा के उल्लंघन होने की स्थिति में, संस्थान द्वारा ठेका रद्द करने के अलावा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा।
6. यदि ठेकेदार फर्म, किसी भी कारणवश ठेके की निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, या ठेके की किसी शर्त और दशा का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास ईएमडी और/ अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने और जैसा भी मामला हो, ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। संस्थान के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।

एच) श्रमिकों की आवश्यकता

1. ठेकेदार एजेंसी निम्नानुसार प्रत्येक 8 घंटे की तीन शिफ्ट में कुल (रिलीवर सहित) 44 प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (बिना हथियारों के) की तैनाती के माध्यम से पूर्ण कैंपस की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगी :-
   - i) पहली शिफ्ट - 0600 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
   - ii) दूसरी शिफ्ट - दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
   - iii) तीसरी शिफ्ट - रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
2. ठेकेदार प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड को कप्तान के रूप में नामित करेगा और संस्थान को सूचित करेगा ।
3. सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए ठेकेदार एजेंसी द्वारा संस्थान से परामर्श कर शिफ्ट का समय, सुरक्षा स्थानों एवं सुरक्षा गार्ड की संख्या परिवर्तनशील है ।
4. समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की संख्या को मौजूदा निविदा में आनुपातिक आधार पर अधिकतम 20% तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
5. कुल सुरक्षा गार्ड में से न्यूनतम 40% पूर्व-सैनिक अवश्य होने चाहिए।

6. तैनात गार्ड की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (सिविलियन के लिए) एवं 50 वर्ष (भूतपूर्व सैनिको के लिए) है और ठेकेदार द्वारा तैनात किये गए गार्ड को निर्धारित आयु सीमा पर पहुँचने पर हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
7. 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात नही किया जाएगा।
8. वर्तमान निविदा दस्तावेज के अंतर्गत कार्य करने के लिए सहमत होने पर, यदि मौजूदा सुरक्षा गार्ड को ठेकेदार द्वारा उनकी पारस्परिक स्वीकृति के अधीन तैनात किया जाता है, तो संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
9. सुरक्षा एजेंसी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, अनुशासित, शारीरिक रूप से दक्ष एवं मुस्तैद व्यक्तियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त करना होगा।
10. संस्थान में तैनात किये गए सभी प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड को हिंदी भाषा लिखने एवं पढने का ज्ञान होना चाहिए।
11. किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड के रूप में संस्थान में यह सुनिश्चित कर तैनात किया जाएगा कि समय-समय पर संशोधित पीएसएआरए अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण एवं कौशल उसके द्वारा प्राप्त किया गया है।
12. तैनात सुरक्षा गार्ड का आचरण प्रभावशाली होना चाहिए एवं अच्छे व्यक्तित्व सहित वह मानसिक रूप से दक्ष होना चाहिए और उसे किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए ।
13. ठेकेदार किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड के रूप में संस्थान में नियुक्त नही करेगा जो सुरक्षा सेवाओं के लिए चिकित्सकीय रूप से दक्ष नहीं हो।

आई) सुरक्षा एजेंसी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

ठेकेदार एजेंसी के समक्ष कुल 44 सुरक्षा गार्ड (हथियारों के बिना) की तैनाती के माध्यम से संस्थान के पूर्ण परिसर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व होगा । सुरक्षा गार्ड को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करने होंगे-

1. स्टाफ / श्रमिकों / संस्थान के प्राधिकृत कार्मिक और संबंधित अधिकारियों / वर्गों से उचित अनुमति प्राप्त अन्य आगंतुकों की प्रविष्टि की जांच, नियंत्रण और सुविधा;
2. वाहनों के आवागमन एवं प्रवेश/निकास को सुगम बनाना,जांच एवं नियंत्रण करना एवं संबंधित का निर्धारित समय सहित रिकॉर्ड बनाये रखना ।
3. उचित गेट पास / प्राधिकरण पत्र / चालान के साथ सामग्री / उपकरण लाने/ले-जाने को सुगम बनाना एवं जांच करना और उसके रिकॉर्ड का रखरखाव । कार्यालय भवन से बाथरूमफिटिंग, पंखे, एग्जॉस्ट पंखे, अग्निशमक यन्त्र इत्यादि चल वस्तुएं की चोरी के लिए वह पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे।
4. यदि आवश्यक हो तो, आगंतुकों की तलाशी का कार्य ।
5. संस्थान परिसर में स्थित चल- अचल संपत्ति की सुरक्षा।
6. परिसर में संदिग्ध व्यक्ति / आक्षेप/ अज्ञात / लावारिस वस्तु का न होना सुनिश्चित करना।
7. यह सुनिश्चित करना कि अकादमिक भवन एवं कार्यालय में लगे सभी विद्युत उपकरण / यन्त्र/ लाइट एवं पंखे कार्यालय/ कक्षाओं इत्यादि के ख़त्म होने के पश्चात बंद कर दिए गए हैं।
8. यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यालय एवं शैक्षणिक भवन/ कक्षाएं ख़त्म हो जाने के बाद बंद कर दिए गए हैं, और इसे कार्य खुलने के समय खोला गया है । चाबियों को सुरक्षित रूप से रखना।
9. संस्थान परिसर के भीतर किसी भी अन्य सुरक्षा व्यवस्था को देखना ।

10. पूर्ण संस्थान परिसर में कहीं भी आग लगने के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। उस समय ड्यूटी कर रहे सुरक्षा गार्ड को संस्थान में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल रूप से सतर्क करना होगा एवं अग्निशमन प्रबंधन में सहायता करनी होगी । कार्यकारी घंटो के पूर्व अथवा पश्चात आग लगने की स्थिति में, उस समय ड्यूटी पर उपलब्ध सुरक्षा गार्ड को तुरंत निकटतम अग्निशमन स्टेशन एवं संस्थान के सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा निरीक्षक को सूचित करना होगा ।
11. यह सुनिश्चित करना कि अग्निशमन यंत्र के संचालन के बारे में उनको पर्याप्त ज्ञान है।
12. समय-समय पर संस्थान के निर्देशों के अनुसार आगंतुकों, गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों / विशेषज्ञों की सेवा हेतु उपलब्ध रहना ।
13. समय-समय पर संस्थान के निर्देशों के अनुसार गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों इत्यादि के साथ अनुरक्षण संबधी ड्यूटी करना।
14. सुरक्षा कर्मियों द्वारा साफ़-सुथरी वर्दी धारण की जानी चाहिए एवं पहचान के प्रयोजन से ठेकेदार द्वारा जारी किये गए नाम एवं फोटो युक्त पहचान पत्र लगे होने चाहिए।
15. सुरक्षा गार्ड को दिए गए सुरक्षा कार्य को करते हुए विनम्र परन्तु दृढ़, सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक, अनुशासित और कुशल होना चाहिए।
16. संस्थान में कार्य के समय सुरक्षा गार्ड को स्मार्ट फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
17. गार्ड किसी भी स्थिति में अपने कार्य स्थल को नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से उनको ऐसा कोई आदेश न प्राप्त हुआ हो अथवा प्राधिकारी द्वारा उनको उपयुक्त रूप से कार्य मुक्त न किया गया हो।
18. यदि संस्थान द्वारा आवश्यक या वांछित हो, तब एजेंसी को सुरक्षा गार्ड को बदलना या प्रतिस्थापित करना होगा और इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
19. सुरक्षा एजेंसी को तैनात व्यक्तियों के लिए समय-समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम और विनियम जैसे सभी सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। संस्थान उनके रोज़गार से जुड़े किसी भी मामले के लिए ज़िम्मेदार नही होगा। सुरक्षा एजेंसी और उसके कर्मचारियों के बीच उत्पन्न विवाद की ज़िम्मेदारी केवल एजेंसी की होगी।
20. सुरक्षा एजेंसी को निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित संख्या में सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती के माध्यम से यहाँ दिए गए शिफ्ट के अनुसार पूर्ण, निरंतर एवं 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
21. सुरक्षा एजेंसी को हमेशा निविदा दस्तावेज में निर्धारित आयु सीमा सहित संस्थान में तैनात पूर्व सैनिकों और नागरिक कर्मियों के अनुपात को बनाए रखना होगा।
22. सुरक्षा एजेंसी को समय-समय पर अनुबंध की अवधि के दौरान लागू कानूनों के तहत सभी वैधानिक रजिस्टरों, अभिलेख आदि बनाने होंगे और संबंधित प्राधिकारी या संस्थान की मांग पर इसको प्रस्तुत करना होगा ।
23. उक्त कर्तव्य केवल निदर्शी और अपूर्ण हैं। सुरक्षा गार्ड को ऐसे अतिरिक्त कार्य भी करने होंगे जिनका उपरोक्त अथवा निविदा दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है परन्तु वे सुरक्षा गार्ड के कार्यक्षेत्र के अधीन है।

जे) मजदूरी का भुगतान

1. ठेकेदार को संस्थान में तैनात सभी प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (हथियारों के बिना) को उनके वेतन का भुगतान अगले माह की 7 तारिख तक केवल बैंक ट्रान्सफर (एनईएफटी) के माध्यम से करना होगा । नकद में किया गया भुगतान स्वीकार्य नही है।

2. सभी तैनात प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की मजदूरी केंद्रीय मजदूरी दरों के सामान होगी। अतः, ठेकेदार ग्वालियर शहर के वॉच एंड वार्ड (हथियारों के बिना) में नियोजित कर्मचारियों को समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान करेगा।
3. ठेकेदार संस्थान को समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मजदूरी में किये गए संशोधन के बारे में सूचित करेगा, और तदनुसार वितरण सुनिश्चित करेगा, और ऐसे मामलों में, संस्थान समय-समय पर अंतर की प्रतिपूर्ति करेगा।.
4. ठेकेदार द्वारा तैनात किये गए प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड को किए गए सभी भुगतान का संस्थान द्वारा किसी भी समय अपनी संतुष्टि के लिए निरीक्षण / सत्यापन किया जा सकता है ।
5. यदि संस्थान को कम मजदूरी के भुगतान या किसी भी तरह की कदाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संस्थान इस मामले में पूछताछ कर उचित कार्रवाई करेगा, जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
6. ठेकेदार फर्म लागू कानूनों के अनुसार मजदूरी के समय पर भुगतान, अवकाश, विश्राम इत्यादि के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी एवं संस्थान इस संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
7. सुरक्षा गार्ड संस्थान के कर्मचारी न होकर, ठेकेदार फर्म के कर्मचारी होंगे एवं किसी भी मामले में, उनको केंद्रीय मजदूरी दर / न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य दरों से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. ठेकेदार समय-समय पर लागू कानूनों के तहत ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि जैसे आवश्यक कल्याण उपायों के प्रेषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

के) ठेकेदार को पर्यवेक्षी शुल्क / मुनाफे के अंतर संबंधी किये जाने वाला भुगतान:

1. बोलीकर्ताओं को वित्तीय बोली में मूल पारिश्रमिक के प्रतिशत (%) में केवल पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को प्रस्तावित करने की आवश्यकता होगी।

2. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा समय-समय पर ग्वालियर शहर के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मूल पारिश्रमिक पर एवं ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए श्रमिकों के किए गए भुगतान पर देय होगा। अन्य शब्दों में, वीडीए, ईपीएफ (नियोक्ता का अंश), ईएसआई (नियोक्ता का अंश) आदि जैसे अवयव, पर्यवेक्षी शुल्क/ लाभ गुंजाइश की गणना के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश पूरी अनुबंध अवधि, विस्तारित अवधि और/ या कार्य के पुन: सौंपने के दौरान, जैसा भी मामला हो, प्रतिशत में तय एवं नियत होगा।

4. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को पूरे अंकों में अथवा दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम दो अंकों तक निश्चित प्रतिशत (%) के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

5. बोलीकर्ता का चयन उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश के आधार पर ही किया जाएगा।

6. दो या उससे अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा समान प्रभार उद्धत किए जाने की स्थिति में, उसी बोलीकर्ता की बोली को स्वीकार किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी के अनुसार पिछले तीन वर्ष का औसत कारोबार सबसे अधिक होगा।

7. यदि कोई बोलीकर्ता अपनी वित्तीय बोली में पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को "निरंक" या "3% से कम" शुल्क लिखता है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश में ठेकेदार के लाभ और न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, अनुबंध श्रमिक (आर एंड ए) अधिनियम, ग्रेच्युटी, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिस्थापन प्रभार, वर्दी की लागत जैसे वैधानिक दायित्व और यूनिफ़ॉर्म, ड्यूटी के लिए सामग्री, चिकित्सीय फिटनेस जांच, चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन, श्रमिक लाइसेंस हेतु अन्य संबंधित खर्च, कल्याणकारी उपायों (ई.पी.एफ., ई.एस.आई.), जी.एस.टी. इत्यादि हेतु होने वाले प्रशासनिक शुल्क शामिल होंगे ।

9. उपर्युक्त राशि के अलावा संस्थान द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय बोनस के, जिसकी प्रतिपूर्ति ऑनलाइन तरीके से एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मजदूरों को किए गए भुगतान के दस्तावेजी सबूत के साथ बिल जमा करने पर संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जाएगी (जैसा कि मजदूरी के भुगतान के मामले में किया जा रहा है)।

10. संस्थान को बोलीकर्ताओं से प्रस्तावित पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश का स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

एल) अनुबंध की अन्य नियम व शर्तें :

1. सुरक्षा एजेंसी को संस्थान में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से श्रम अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी और अनुबंध प्राप्त होने के 30 दिवसों के अधीन इसकी प्रति संस्थान को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल होने पर अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और ईएमडी या प्रदर्शन सुरक्षा निधि, जैसा मामला हो, को जब्त कर लिया जाएगा।
2. ठेकेदार को, जब भी आवश्यक हो, उपर्युक्त लाइसेंस की वैधता का नवीनीकरण सुनिश्चित करना होगा और संस्थान के किसी भी संदर्भ या अनुरोध के बिना संस्थान में इसकी प्रति को जमा करना होगा।
3. किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड के रूप में संस्थान में तभी तैनात किया जाएगा जब ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया हो कि समय-समय पर संशोधित पीएसएआरए अधिनियम, 2005 के तहत सुरक्षा गार्ड को निर्धारित प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त है ।
4. तैनात सुरक्षा गार्ड प्रभावशाली व्यक्तित्व, शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष एवं मुस्तैद होना चाहिए और किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।।
5. ठेकेदार संस्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात नहीं करेगा, जो सुरक्षा कार्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से दक्ष नहीं है।
6. ठेकेदार को वर्ष में एक बार संस्थान में सभी तैनात सुरक्षा गार्डों का चिकित्सा दक्षता परीक्षण भी कराना होगा और इसकी रिपोर्ट संस्थान को जमा करनी होगी। यदि किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से दक्ष नही पाया जाता है, तब ठेकेदार द्वारा उसको तैनात नहीं किया जाएगा।

7. ठेकेदार समय-समय पर, तैनाती की तारीख से 3 महीने के भीतर सभी तैनात प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों के यूएएन जमा करेगा।
8. ठेकेदार संस्थान में तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को पहचान पत्र जारी करेगा, जिन्हें उन्हें प्रदत्त वर्दी के साथ पहनना / प्रदर्शित करना होगा।
9. ठेकेदार को यथोचित उपस्थिति दर्ज करने के लिए बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करनी होगी और महीने के अंत में, सत्यापन के लिए सुरक्षा निरीक्षक को उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
10. ठेकेदार फर्म पूरी तरह से वर्तमान में लागू कानूनों के अनुसार समय पर वेतन के भुगतान, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी और संस्थान इस संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
11. ठेकेदार उनके द्वारा तैनात व्यक्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। संस्थान, किसी भी तरह से, इस तरह के मुद्दों के निपटारे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. सुरक्षा एजेंसी, आवासीय बंगलों / क्वार्टर के निजी सामान को छोड़कर सीमाओं, इमारतों, पार्कों, पार्किंग क्षेत्रों में लगे वाहनों, फिटिंग, फिक्स्चर, स्टोर्स, उपकरणों और कार्यालय के रिकॉर्ड सहित पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
13. ठेकेदार एजेंसी, अपने तैनात सुरक्षा गार्ड की सतर्कता और चौकसी की जांच के लिए अप्रत्याशित जांच (दिन और रात के दौरान) का संचालन करेगी और, यदि आवश्यक हो, तो संस्थान को उचित सूचना प्रदान कर सुधारात्मक कार्रवाई करेगी । संस्थान के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय इस तरह की अप्रत्याशित जांच की जा सकती है एवं इसमें चूक पाए जाने के मामले में, ठेकेदार को उनके भाग पर उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जा सकता है।.
14. ठेकेदार फर्म अपने तैनात सुरक्षा गार्ड के माध्यम से सभी प्रवेश / निकास द्वार पर रजिस्टर को बनाए रखेगी, जिसमें संस्थान में आने वाले व्यक्ति, सामग्री, वाहन इत्यादि के विवरण और समय शामिल होंगे। इस रजिस्टर की प्रति मासिक भुगतान के बिल सहित संस्थान को जमा की जाएगी।.
15. सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य में हुई अनदेखी, लापरवाही या उपेक्षा के कारण संस्थान या उसकी संपत्ति को होने वाली हानि/ क्षति के लिए सुरक्षा एजेंसी ज़िम्मेदार होगी एवं तदनुसार संस्थान की संतुष्टि तक ऐसे नुकसानों को उन्हें सही कराना होगा।
16. ठेकेदार एजेंसी को संस्थान में समय-समय पर की जाने वाली नियुक्ति/तैनाती से पूर्व संबंधित सुरक्षा गार्ड का पूर्ववर्ती एवं चरित्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करना होगा और सभी तैनात सुरक्षा गार्ड का सत्यापित फोटो सहित बायो डाटा को पुलिस सत्यापन सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों सहित एक माह की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
17. एजेंसी को अपने व्यय पर हर छह महीने के अंतराल पर पुलिस सत्यापन कराना होगा और संस्थान को इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
18. ठेकेदार संस्थान परिसर में तैनात सभी प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की एक सूची उनके स्थायी और वर्तमान पते एवं नवीनतम तस्वीरों के साथ संस्थान को प्रदान करेगा। नियुक्त किये गए कर्मियों की त्रुटियों एवं कृत्यों की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुबंध के तहत कार्य करते समय तैनात कर्मियों को लगी चोट / मृत्यु / स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं इत्यादि के मामले में संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
19. संस्थान सुरक्षा गार्ड को कोई परिवहन, कैंटीन, चिकित्सा या अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा।

20. सुरक्षा एजेंसी सभी आने- जाने वाली सामग्री की सुरक्षा के लिए और प्रवेश / निकास द्वार पर रजिस्टरों में ऐसी सामग्रियों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी।
21. सुरक्षा एजेंसी को तैनात किये गए सभी सुरक्षा गार्ड को लाठी, टोर्च, सीटी आदि जैसी सुरक्षा बनाए रखने संबंधी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करनी होगी।
22. सुरक्षा एजेंसी को अपने व्यय पर सभी तैनात प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों को गर्मी और सर्दी के लिए उपयुक्त वर्दी (शर्ट, पतलून, मंकी कैप, ऊनी जर्सी , ओवरकोट, रेनकोट, जूता, बेल्ट, बैज इत्यादि) प्रदान करनी होगी ।.
23. सुरक्षा एजेंसी को अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी प्रदान करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कार्य पर साफ़-सुथरी वर्दी पहनें और सतर्क होकर कार्य करें ।
24. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति किसी भी आपराधिक गतिविधियों, कदाचार या अवांछित कार्य या किसी भी अन्य कार्य, जो निविदा के नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं है में शामिल नहीं हों और समय-समय पर एजेंसी को संस्थान द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत उनके द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा हो । एजेंसी और / या उसके कर्मचारियों द्वारा किये गए किसी भी उल्लंघन के प्रकरण में, एजेंसी पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगी और संस्थान किसी भी तरह के आपराधिक या नागरिक दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
25. सुरक्षा एजेंसी को अपने तैनात सुरक्षा गार्ड को एक साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाकर, उसके स्थान पर रिलीवर तैनात करना होगा।.
26. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी समय कोई भी सुरक्षा चौकी मानव रहित नहीं है और यदि कोई सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर या अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर किसी अन्य को तैनात किया जाए ।
27. सुरक्षा एजेंसी को मासिक वेतन- पर्ची जिसमें, मूल वेतन, वीडीए, कटौती के विवरण का उल्लेख किया गया हो, जारी करनी होगी औरउसकी प्रति संस्थान को मासिक बिलों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
28. सुरक्षा एजेंसी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने कर्मचारियों को वेतन के वितरण और ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी इत्यादि के प्रेषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी और इस सम्बन्ध में लगे जुर्माने संबंधी देनदारियों को एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा ।
29. सुरक्षा एजेंसी पारिवारिक विवरण सत्यापित करने के तीन महीने के भीतर ईएसआई कार्ड जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है।
30. ठेकेदार ही संस्थान में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित सभी कानूनी दायित्वों के लिए अकेला उत्तरदायी होगा और उसे अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970,ईएसआई अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम, 1938, बोनस भुगतान अधिनियम 1965,न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,नियोक्ता देयता अधिनियम 1938 एवं उनपर समय-समय पर लागू अन्य नियम/विनियम एवं/अथवा विधियों के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा । इसके तहत दायित्वों को पूरा करने में विफल होने पर, संस्थान ऐसे दावों, मांगों, हानि या चोट के कारण हुए नुकसान अथवा व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के मासिक भुगतान से करने के लिए अधिकृत होगा ।
31. यदि ठेकेदार संबंधित कानून के तहत किसी भी वैधानिक / कराधान दायित्व का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप ल.रा.शा.शि.सं. को किसी भी प्रकार की मौद्रिक या अन्यथा देनदारियां या हानि होती है, तब ल.रा.श.शि.सं बकाया बिल या ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से इसकी पूरी प्रतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत है।

32. सुरक्षा एजेंसी को पीएसएआरए आदि के तहत निर्धारित एवं शारीरिक दक्षता बनाए रखने के लिए समय-समय पर नियमित रूप से सुरक्षा कर्मियों को ड्रिल परेड / अभ्यास इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा ।
33. सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों का नियंत्रण सीधे एजेंसी के पास रहेगा। संस्थान कर्मचारियों के कार्य की निगरानी अपने सुरक्षा निरीक्षक और सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से करेगा, जो एजेंसी से निपटेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
34. किसी भी तरह अनुबंध या उसके किसी भी भाग को किसी अन्य को देने की अनुमति नहीं है एवं ऐसा करने पर अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा, एवं, जैसा भी मामला हो, अनुबंध के रद्दीकरण, सुरक्षा निधि और/ अथवा बयाना राशि जब्त होने या अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी ।
35. एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड के लिए मादक पदार्थों और शराब का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है।
36. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिको की पूर्ववृत्त, उपयुक्तता एवं कौशल का पता लगाने हेतु संस्थान द्वारा कभी भी जांच की जा सकती है । संस्थान में किसी व्यक्ति को तैनात करने से पहले, सुरक्षा एजेंसी रिकॉर्ड और / या निर्देशों के पूर्ण विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगी, ।
37. सुरक्षा एजेंसी केवल उन्हीं प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करेगी, जिनके द्वारा एक सक्षम प्रशिक्षण केंद्र से उचित अवधि तक सुरक्षा संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो ।
38. ठेकेदार द्वारा किसी भी दायित्व या ज़िम्मेदारी का ठीक से निर्वहन न किये जाने के मामले में, ठेकेदार द्वारा निविदा प्राप्ति के समय जमा की गई प्रदर्शन सुरक्षा निधि का उपयोग संस्थान द्वारा किया जा सकता है।
39. सुरक्षा एजेंसी को दैनिक शिफ्ट-वार उपस्थिति रिकॉर्ड और शिफ्ट में हुए परिवर्तन (हैन्डिंग/टेकिंग ओवर) संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखना होगा ।
40. संस्थान आईटी अधिनियम के प्रावधानों या समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के अनुसार ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों के स्रोत पर आयकर और अन्य कर लगाएगा।
41. ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही / गलती के कारण संस्थान के उपकरण, मशीनरी या प्रणाली को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं उसको ठीक कराने का जोखिम एवं खर्चा भी उसे ही वहन करना होगा।
42. ठेकेदार इस तरह से कर्मियों की तैनाती करेगा कि कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्मिकों को निर्धारित साप्ताहिक विश्राम मिले।
43. ठेकेदार को नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पीएसएआरए, 2005 के अंतर्गत जारी अथवा समय-समय पर आरएलसी (केंद्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी श्रम लाइसेंस के स्थगन या रद्दीकरण के मामले में संस्थान को त्वरित रूप से सूचना प्रदान करनी होगी।

एम) जुर्माना:

1. सुरक्षा एजेंसी परिसर के अंदर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है और यदि संस्थान को लगता है कि एजेंसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ है या इसमें कमी है, उस स्थिति में मामले की सुनवाई के बाद एजेंसी को उचित दंड दिया जा सकता है।
2. किसी भी दिन सुरक्षा गार्ड के अनुपस्थित होने के मामले में, कार्य पर अनुपस्थिति की दिनांक से रु 500/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति सहित दैनिक मजदूरी के बराबर राशि, सुरक्षा एजेंसी के मासिक बिल से कार्य पर अनुपस्थित दिवसों की संख्या के आधार पर वसूल की जाएगी।

3. सुरक्षा अनुबंध के अंतर्गत क्षेत्रों से ल.रा.शा.शि,सं, ग्वालियर की संपत्ति चोरी होने या हानि होने के मामले में, जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी,और सुनवाई के अवसर के बाद संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसमापन हर्जाना तय किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी द्वारा उनके मासिक बिलों के माध्यम से की जाएगी।
4. किसी भी सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्य अवधि के दौरान संस्थान परिसर के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निजी काम नहीं किया जाएगा, अन्यथा, कोई भी नोटिस दिए बिना उनपर उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
5. संस्थान को हुए किसी भी नुकसान या क्षति अथवा वर्तमान निविदा प्रक्रिया के लिए दिए गए अनुबंध के परिणामस्वरूप किसी भी पार्टी / तृतीय पक्ष द्वारा संस्थान पर किये गए किसी भी दावे की क्षतिपूर्ति ठेकेदार करेगा।
6. संस्थान किसी भी समय निविदा में निर्धारित की गयी शर्तों और दशाओं का उल्लंघन होने पर ठेकेदार फर्म को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उचित जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है। संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार फर्म को स्वीकार्य होगा।

एन) अनुबंध की समाप्ति:

1. अनुबंध में निहित किसी भी शर्त का अनुपालन न किए जाने के मामले में संस्थान किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
2. यदि सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाई जाती है, तो संस्थान अपने पूर्ण विवेकानुसार अनुबंध की समापन अवधि से पूर्व एक महीने के नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, अनुबंध को समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा ।
3. दोनों पक्षों को 30 दिनों का नोटिस देकर, कोई भी कारण बताए बिना, अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
4. अनुबंध की अवधि की समाप्ति या अन्यथा के मामले में ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में रोजगार प्राप्त करने अथवा निरंतरता के किसी दावे का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति सभी उद्देश्यों के लिए केवल ठेकेदार के कर्मचारी होंगे।
5. ठेकेदार अनुबंध की अवधि की समाप्ति / समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को संस्थान से हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति संस्थान की सुचारु कार्यप्रणाली के लिए कोई व्यवधान / बाधा उत्पन्न नहीं करे।

ओ) देयकों के भुगतान की प्रक्रिया:.

1. ठेकेदार को पिछले माह के मासिक देयक दिए गए वेतन, ई.पी.एफ., ईएसआई, जीएसटी इत्यादि की मांग के लिए प्रस्तुत करने होंगे एवं देयक अवधि से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पर्यवेक्षी शुल्क / लाभ मार्जिन का अंतिम प्रतिशत भी, जल्द-से- जल्द प्रदान करना होगा, जिसका भुगतान, यदि सभी प्रकार से ठीक है तो, साधारणतः प्राप्ति के 21 दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा।
   I. उपस्थिति / मस्टर-रोल रजिस्टर;
   II. महीने के दौरान तैनात कर्मियों की सूची, उनके कर्मचारी कोड, जन्मतिथि, यूएएन, स्थिति (पूर्व सैनिक या नागरिक), तैनात दिनों की संख्या;
   III. सभी तैनात कर्मियों के आईडी कार्ड की प्रतियां;
   IV. एनईएफटी या ऑनलाइन के माध्यम से महीने के दौरान तैनात कर्मियों के संबंधित बैंक खातों में मासिक मजदूरी के प्रेषण संबंधी दस्तावेज;

V. सभी तैनात सुरक्षा गार्डों की बायो-मीट्रिक उपस्थिति की प्रति;

VI. इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) सहित ईपीएफ का संयुक्त चालान;

VII. ईएसआई प्रेषण योगदान विवरण सहित;

VIII. सभी कार्मिकों की मासिक भुगतान पर्ची;

IX. बिल में दावा किए गए जीएसटी भुगतान करने के संबंध में दस्तावेज;

X. प्रवेश द्वारों पर संधारित आगंतुक / सामग्री रजिस्टर की प्रतिलिपि; जैसा बिल में दावा किया गया है;

2. किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक, संस्थान द्वारा जाँच और सत्यापन के अधीन होंगे और इनका भुगतान कार्य के संतोषजनक निष्पादन एवं उपस्थिति पत्रक पर प्रभारी पर्यवेक्षक (कों) के अभिप्रमाणन के बाद ही किया जाएगा।
4. संस्थान द्वारा ठेकेदार फर्म के देयकों का भुगतान, यदि यह हर दृष्टि से उचित है, उपयुक्त समयावधि के भीतर किया जाएगा।
5. संस्थान ऐसे ठेकों पर लागू मौजूदा कानूनों के अनुसार कटौती भी करेगा।

पी) व्यावसायिक नैतिकता और गोपनीयता :

1. ठेकेदार और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, कर्मियों को अनुबंध की अवधि के दौरान उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों को रखना होगा ।
2. ठेकेदार के लिए व्यावसायिक नैतिकता और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति / पार्टी / फर्म या किसी भी तीसरे पक्ष के समक्ष आंतरिक जानकारी को साझा / प्रकट नहीं किया जाना चाहिए ।

क्यू) मध्यस्थता एवं न्याय क्षेत्र:

1. इस निविदा के फलस्वरूप उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विवाद/ मतभेद, जिसमें शर्तों और दशाओं की विवेचना शामिल है, को संबंधित पक्षों द्वारा परस्पर आपसी चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्वक हल किया जाएगा।
2. हालाँकि, यदि विवादों का समाधान आपसी चर्चा के माध्यम से नहीं होता है, तो मामले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, जिसे कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3. यदि प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा भी नहीं सुलझता है, तो इस विवाद का निपटारा केवल ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।

संलग्नक 'अ'

ई.एम.डी. प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

प्रति

कुलसचिव
एल एनआई पी ई,
ग्वालियर

संस्थान के पूरे परिसर में सुरक्षा सेवाऐं प्रदान करने के लिए वार्षिक ठेका हेतु ई.एम.डी. जमा करने बावत्

आपकी खुली निविदा के परिपेक्ष्य में, मैं/ हम कार्यों हेतु अपनी बोली/ निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं और ईएमडी निम्नवत संलग्न हैं

राशि रूपये	
बैंक ड्राफ्ट नंबर	
दिनांक	
बैंक का नाम	
ब्रांच	

घोषणा

1. हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।

2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।

3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।

4. क्या इस बोली को स्वीकार किया जाना चाहिए, हम एतद् द्वारा निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों और दशाओं का पालन करने और उसे पूरा करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, और हमारे भाग पर किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।

5. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।

6. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____

संलग्नक 'ब'

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

संस्थान के पूर्ण परिसर में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु ठेका देने हेतु तकनीकी बोली का प्रारूप

क्र. सं.	आवश्यक जानकारी का विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी का विवरण	संलग्न प्रति की पृष्ठ संख्या
1	बोलीदाता सुरक्षा एजेंसी का नाम		
2	बोलीदाता सुरक्षा एजेंसी का पूरा पता		
3	बोलीदाता का - क) मोबाइल / फोन नंबर ख) ई-मेल आईडी ग) वेबसाइट		
4	ईएमडी भुगतान का विवरण (रुपये 4,50,000/ -) **(एक अलग लिफाफे में मूलत: प्रस्तुत करें)**	बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक शाखा	
5	भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा कानूनी रूप से गठित कॉरपोरेट निकाय अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदार कंपनी अथवा मालिकाना स्वामित्व (इस संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज संलग्न करें)।		
6	निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत ग्वालियर में निजी सुरक्षा के व्यवसाय के संचालन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित (प्रति संलग्न करें)।		
7	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पिछले तीन माह की ईपीएफ जमा रकम की ऑनलाइन ईसीआर के साथ इसकी प्रति संलग्न करें);		
8	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (पिछले तीन माह के ईपीएफ जमा रकम के चालान के साथ इसकी (प्रति संलग्न करें);		

9	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम (पिछले तीन माह के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण पत्र संलग्न करें);		
10	आयकर अधिनियम (पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें);		
11	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ठेकेदार श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (इसकी प्रति संलग्न करें);		
12	सुरक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (संगठनों की सूची जिसमें कार्य किया गया हो एवं बड़े संगठनों को प्रदान किए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या सहित पांच वर्ष पुराना निगमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक);		
13	31 मार्च 2019 को समाप्त, 3 वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 80% होना चाहिए (इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट के साथ आयकर रिटर्न एवं परिशिष्ट-ग में निर्धारित प्रारूप के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "टर्नओवर का प्रमाणपत्र" संलग्न करें)	<u>वित्तीय</u> वर्ष टर्नओवर (रु. में) 2016-17 2017-18 2018-19	
14	सरकारी संगठनों / पीएसयू / स्वायत निकायों / सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में निम्नानुसार पिछले 7 वर्षों (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान समान प्रकृति कार्य अर्थात "प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना" के सफलतापूर्वक / संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का अनुभव : - तीन समान प्रकृति के कार्य जिनमें प्रत्येक का मान अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत से कम न हो अथवा दो समान प्रकृति के कार्य जिनमें प्रत्येक का मान अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम न हो अथवा एक समान प्रकृति के कार्य जिसका मान अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत से कम न हो (ऊपर वर्णित संबंधित कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अनुबंध पूरा होने के प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
15	बोलीकर्ता का ग्वालियर में कार्यालय है, जिसमें दूरभाष, वाहन आदि जैसी प्रभावी संचार सुविधाएं और त्वरित		

	प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें बल मौजूद है। संख्यापर्याप्त ((यदि ऐसा नहीं है, तो बोलीकर्ता को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि ठेका प्राप्त होने की स्थिति में, वे इसके प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर ग्वालियर में कार्यालय खोलेंगे(;		
16	बोलीदाता कंपनी का अपना बैंक खाता हो (पिछले एक महीने के विवरण सहित खाते की जानकारी प्रस्तुत करें);।	खाता क्रमांक खाते का प्रकार बैंक शाखा आईएफ़एससी	
17	बोलीदाता के पास वेतन पत्रक पर कम से कम 200 स्थायी / नियमित सुरक्षा गार्ड होने चाहिए (एनईएफटी द्वारा पिछले एक महीने की मजदूरी के भुगतान के संगठन-वार सूची और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ कर्मियों के नाम भी प्रस्तुत करें।)		
18	100/- रूपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रस्तुत करें:- a. एजेंसी द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में लागू सभी वैधानिक दायित्वों का अनुपालन किया जाना चाहिए; b. प्रोपराईटर/फर्म/पार्टनर या बोलीकर्ता कंपनी के विरूद्ध किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है। c. बोलीकर्ता ने विगत तीन वर्षो में ईपीएफ, ईएसटी, जीएसटी, आयकर जैसे सांविधित बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। d. बोलीकर्ता को विगत तीन वर्षो में किसी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/शासकीय शैक्षिक संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, और न ही इसका कोई अनुबंध् पूर्णता तिथि से पहले रद्द किया गया है।		
19	अन्य कोई जानकारी		

घोषणा

1. मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है।
2. मेरे/हमारे द्वारा हर स्थिति में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने से संबंधी शर्तों के अनुपालन की घोषणा की जाती है।
3. मेरे/ हमारे द्वारा घोषित किया जाता है कि निविदा में प्रस्तुत तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सही है एवं किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।
4. मैं/ हम यह सहमति देता/देते हूँ/हैं कि संस्थान की निविदा समिति एवं/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. मैं / हम जानते हैं कि वर्तमान निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन होने पर ईएमडी और / या प्रदर्शन सुरक्षा निधि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए मैं / हम अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।
6. मैं / हम दो अलग मुहरबंद लिफाफे में ईएमडी और मूल्य बोली जमा करते हैं।

दिनांक :

स्थान :

बोलीदाता के हस्ताक्षर: _____

नाम, पता, फोन एवं मुहर: _____

संलग्नक 'स'

टर्नओवर का प्रमाण पत्र

(संपूर्ण ल.रा.शा.शि.सं, ग्वालियर परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुबंध प्रस्तुत करने के प्रयोजन हेतु

(मूल प्रति जमा करें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ..... ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित टर्नओवर और लाभ / हानि दर्ज की है: -

वित्तीय वर्ष	वार्षिक टर्न ओवर (रु. में)	कुल लाभ /हानि
2018-19		
2017-18		
2016-17		

उपर्युक्त जानकारी / आंकड़े हमारे ज्ञान एवं जानकरी के अनुसार सही और प्रमाणित हैं और उक्त फर्म की बैलेंस शीट और / या आयकर रिटर्न से प्राप्त किए गए हैं।

तिथि :

स्थान : चार्टर्ड एकाउंटेंट की मुहर और हस्ताक्षर

पंजीकरण क्र.. .....

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं / हम उपरोक्त दस्तावेज को मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और संलग्न तीन वित्तीय वर्षों के आईटीआर एवं बैलेंस शीट के आधार पर इसकी शुद्धता / सत्यता की घोषणा करते हैं। मैं / हम जानते हैं कि किसी भी असत्य सूचना / निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने से उपयुक्त कानून के तहत अभियोजन पक्ष की ओर देनदारियों के अलावा अनुबंध प्रदान के दौरान किसी भी स्तर पर मेरी/हमारी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :

बोलीदाता के हस्ताक्षर: _____

नाम, पता, फोन एवं मुहर:_____

संलग्नक 'द'

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

संस्थान के पूर्ण परिसर में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु ठेका देने हेतु मूल्य बोली का प्रारूप

बोलीदाता सुरक्षा एजेंसी का नाम और पूरा पता	

हम निम्नलिखित दरों की पेशकश करते हैं :-

क्र.सं	मद का विवरण	प्रस्ताव
1	प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड को दी जाने वाली मजदूरी (हथियार के बिना)	केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार (समय-समय पर भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित)।
2	ईपीएफ योगदान	समय-समय पर लागू ईपीएफ अधिनियम के अनुसार।
3	ईएसआई योगदान	समय-समय पर लागू ईएसआईसी अधिनियम के अनुसार।.
4	जीएसटी या कोई अन्य लागू कर	समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार।
5	प्रतिशत में पर्यवेक्षी शुल्क / लाभ मार्जिन समय-समय पर भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल मजदूरी (डीए को छोड़कर) पर राशि की गणना की जाएगी।	अंकों में : _____ शब्दों में: _____

<u>घोषणा</u>

1. मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है।
2. मेरे/हमारे द्वारा हर स्थिति में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने से संबंधी शर्तों के अनुपालन की घोषणा की जाती है।
3. मेरे/ हमारे द्वारा घोषित किया जाता है कि निविदा में प्रस्तुत तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सही है एवं किरी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।
4. मैं/ हग यह राहमति देता/देते हूँ/हैं कि संस्थान की निविदा समिति एवं/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

5. मैं / हम जानते हैं कि वर्तमान निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन होने पर ईएमडी और / या प्रदर्शन सुरक्षा निधि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए मैं / हम अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।

दिनांक :

स्थान :

बोलीदाता के हस्ताक्षर: _____

नाम, पता, फोन एवं मुहर:_____